

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद  
जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 158 / 14

संस्थापन दिनांक : 03.03.2014

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—धानसिंह पुत्र सुरेश मिर्धा, उम्र 20 वर्ष

2—लला उर्फ विजयसिंह पुत्र सुरेश मिर्धा, उम्र 18 वर्ष

निवासीगण बड़ागर, थाना गोहद जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर भा.द.स.की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है शेष विचारणीय धारा 324/34 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 18.02.14 को 20:00 बजे ग्राम बड़ागर फरियादी रामगोपाल अ0सा01 के मकान के सामने गोहद जिला भिण्ड पर फरियादी रामगोपाल अ0सा01 की लाठी से खतरनाक हथियार के रूप में उपयोग कर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.02.14 को शाम 08:00 बजे फरियादी रामगोपाल अ0सा01 की विधवा मामी रामवती के पास लला मिर्धा आया जब उसने घर के अंदर आने से मना किया तो लला उर्फ मिर्धा अपने घर जाकर वहां से धानसिंह को बात बताकर तथा लाठी लेकर उसके घर आया और बोला कि हम तो घर में घुसंगें तथा अश्लील गालियां देने लगा जब उसने गाली देने से मना किया तो धनसिंह ने उसके एक लाठी मारी जो सिर में बांधे कान के उपर लगी तथा दूसरी लाठी मारी जो उसके बांधे आंख भौंह पर लगी तथा लला मिर्धा ने उसके पीठ पर लाठी मारी जिससे उसके चोट होकर खून निकल आया । तत्पश्चात फरियादी रामगोपाल अ0सा01 ने थाना गोहद में

आवेदन प्र0पी-1 दिया जिस पर थाना गोहद में अप0क0 59/14 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपीगण ने दिनांक 18.02.14 को 20:00 बजे ग्राम बड़ागर फरियादी रामगोपाल अ0सा01 के मकान के सामने गोहद जिला भिण्ड पर फरियादी रामगोपाल अ0सा01 की लाठी से खतरनाक हथियार के रूप में उपयोग कर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?  
// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //
5. रामगोपाल अ0सा01 ने कथन किया है कि दो वर्ष पूर्व प्रातः के समय जब आरोपी लला उसकी भाभी से बात कर रहा था तब परिवार की बात पर आरोपीगण से मुंहवाद हो गया था फिर गांववालों ने आवेदन लिखकर दिया जो उसने थाने पर दे दिया था आवेदन प्र0पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शामौका प्र0पी-2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 18.02.14 को आरोपीगण ने लाठी से उसके सिर पर मारपीट की थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसका जीवन संकट में पड़ गया था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है। अतः स्वयं आहत रामगोपाल अ0सा01 ने किसी हथियार से उसे चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है। उक्त साक्षी आहत साक्षी होकर प्रत्यक्ष व महत्वपूर्ण साक्षी है। परन्तु उसने स्वयं को लाठी से चोट पहुंचाये जाने से इंकार किया है। अतः उक्त महत्वपूर्ण साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 18.02.14 को 20:00 बजे ग्राम बड़ागर फरियादी रामगोपाल अ0सा01 के मकान के सामने गोहद जिला भिण्ड पर फरियादी रामगोपाल अ0सा01 की लाठी से खतरनाक हथियार के रूप में उपयोग कर सहअभियुक्त के साथ सामान्य आशय के अग्रसरण में मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।
6. परिणामतः आरोपीगण को धारा 324/34 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
7. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
8. प्रकरण में जप्तशुदा डण्डा अपील अवधि पश्चात विनिष्ट किया जाये।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0